## राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर

# क्रमांक: वि.सं. 22/Exam/Sr. Teach. (Sec. Edu.)/RPSC/EP-1/2024-25

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विमाग के लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (मर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक (SENIOR TEACHER) के निम्नलिखित 8 विषयों के कुल 2129 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आगंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त विषयवार रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) निम्नानुसार है-

कुल पद	अनुसूचित क्षेत्र हेत् पद	गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद	विषय	क्र.स.
~	15	273	हिन्दी	01
288		242	अंग्रेजी	02
327	85	539	गणित	03
694	155	261	विज्ञान	04
350	89		सामाजिक विज्ञान	05
88	18	70	संस्कृत	06
309	33	276		
64	0	64	पंजाबी	07
9	7	2	उर्दू	08
2129	402	1727	योग	1.1

### नोट :

अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र की वर्गवार रिक्तियों का वर्गीकरण पृथक से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जायेगा।

विशेष नोट :

- न गांद --अनुश्रुचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुशुचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अम्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाईन आवेदन में गरें, अन्यथा उन्हें अनुसूचित क्षेत्र केतु आपलित पदी के विरुद्ध लग देय नहीं होगा। अनुसूचित क सिन न जनग आमात्मपत्र आग (Freeeters) आवस्य का राजावान जायना न र, जारना उन अपूर्ण वा क कपु आपता पथा का स्वाह लाग दव महा कागा। अपूर्णता सेन के पते के लिखत केवल राजवाना राजा के अनुसुर्गुहोत सेत्र के जायदी ही ऑनलाईन आवेदन को आप सेन के उपयों के दिये आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। अनुसूर्गित सेत्र के लिए आवेदन करने वाले अन्यवियों को अनुसूर्गित सेत्र में ने मिल प्राय में के जिपयों के दिये आवेदन करते हैं तो वे
- टिप्पणी— यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य/ सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देवें।

यदि अन्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

#### नोट :-

Note: +

- नाए -1. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसुचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी मर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क–2) विमाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अम्थर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिवितयों को पश्चातुवर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की अधुरा जायबा उत्तराव प्राय के प्राय ने उत्तर हरा उत्तर का आपका प्रायम के तर्राष्ट्रपति की वर्ष के स्वार प्राय जाय के स्वार समापि के प्रश्वात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में मर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष के इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का मरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रमावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध शिवतयों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- 2 राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अन्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- केसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अम्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विकिज्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या **इसके विपरीत (Vice Versa**) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह/परित्यवता/तलाकशुदा अन्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अन्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अम्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अम्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। किंग्वाओं और विछिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षेतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।
- 4. विशेष योग्यजन/निःशवतजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अम्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया
- 5 राजस्थान सिविल सेवा (मूलपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूलपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार श्वैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त मूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित शिवेत्तयां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेंगी।
- राजस्थान दिव्यागजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिवित उपयुक्त बैंचमार्क निःशवतजन की अनुपलबाता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी सिवित आगामी भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेंगा।
- 7. अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाम राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाम देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18. 09.2018 के अनुसार रॉजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी / एसटी / ओबीसी / एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

8. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अन्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा। टिप्पणी:-- "बिन्दु संख्या 01 से 08 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पर्वे आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे (" अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :

(1)(हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिथे) :- Graduate or equivalent examination recognized by UGC with concerned subject as Optional Subject, and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

(विज्ञान विषय के लिये) – Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as Optional Subjects :- Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro-Biology, Bio-Technology and Bio-Chemistry and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

(सामाजिक विज्ञान विषय के लिये) :--Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as Optional Subjects:-History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy, and Degree or Diploma in education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani culture.

none.	. जन्मवा की पाछरी राक्षणिक अहता (राक्षणिक योग्यता, अनुमव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को
	ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
	2. अपना मर्च जन्म के जिल्ला के जिल्ला के जाति हैं। जावदेश अवदेश पत्र की प्रत्याधारत (withdrawai) केरने की विकल्प उपलब्ध होगा।
	2. असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता

(BNS) की धारा 217 के तहत दण्डनीय अपराघ है। ऐसे अम्यर्थी को कालान्तर में काउन्सलिंग/पात्रता जांच/साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने पर आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जाएगा।

tiger signifi	द की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के <b>अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है, वाला व्यक्ति भी</b> आवेदन करने के लिए पाठ गा. किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित <b>प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व</b> शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।	
वेतन का रनिंग पे—बैण्ड	मैट्रिक्स लेवल L-11 (Grade Pay -4200/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।	

	ोमा	दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये। नोट :– उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत् आयु की गणना का आधार 01.01.2023 रख	ा गया था। तत्पश्चात् उक्त
		पर्वे हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अन्यर्थी दिनांक 01.01.2026 को अधिकायु के होते है, उन्हे नियमों में वि आयु सीमा में दो वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।	हेत प्रावधानानुसार अधिकतम
-		विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गो / अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रार	ाधान
इ.सं.		अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणिया	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान	राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के	5 वर्ष
	पुरूष Male Ca	ndidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes	Five Years
	and Eco	nomically Weaker Sections of Rajasthan State	
2.	Women	की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward	10 वर्ष Ten Years
3.	Classes	and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष
э.		Candidates belonging to General Category	<b>Five Years</b>
4.		विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
	Explan	tion :- In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the	
	Compete	ent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish proof of divorce.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5.	था और इ	व्यात आयू सीमा उस मुतपूर्व केंदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substan न नियमों के अधीन नियुषित के पात्र था।	
	on any n	er age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Governme ost before his/her conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
6.	उस भूतप दारा भवत	अत vortor mi नाम रे गाने साम के साम के साम के साम के माने के साम के स की रोग के मानते में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अ कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी।	धिकतम आयु सीमा में उसके
	The upp	er age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of	f other ex-prisoners who
7	कैडेट इन्स	over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules, ट्रक्टर्स के मामले में उत्तने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशतें परिणामित आयु अधिकतम अ	ायु सीमा से 3 वर्ष से अधिक
	नहीं होगी	तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।	
	if the res	er age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the cas ultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to	be within the prescribed
8	age limi राज्य पंच	यत समितियों तथा जिला परिषदों के कारोबार में Substantive रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम् आयु सीमा 40 वर्ष	होगी।
0	The upp	er age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parisha	ls and in the State Public
	Sector L	ndertaking/Corporations in substantive capacity shall be 40 years. र आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आग	। जीमा में ही जमदा जाएगा
9	ानमुक्त ह	र आपोतकोलोन कमोशन प्राप्त आध्वकारिया आर लघु सेवा कमोशन प्राप्त आधकारिया का तना ते निपुर्वरा होने के परवार्ग जान ने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु	सीमा की दृष्टि से पात्र थे।
	The Rel	ased Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Art	ny shall be deemed to be
	within t	the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission, Board or	Appointing Authority, as
	the case	may be, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	Sector se
10	इस सेवा	के किसी पद पर अख्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जा	गेगा चाहे वे आयोग के समक्ष
	आखिरी र	पस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर	दिये जावेंगे।
	The per	ons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, if they were v	ithin the age limit when
	they we	e initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Comm	ission/Board/Appointing
11	THEFTOTICS	y and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such, at the time of their initial appointmen सिविल सेवा (मूलपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार मूलपूर्व सैनिको को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छू	देय होगी परन्त डन नियम
Ţ.	के अधीन	सिरिय सेवा (मूर्र) पूर्व सामयों का जानरा ) निवन, 1300 के अनुसार पूर्व मूर्व सेवा का जासीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भ शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुझेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भ	ातीं की दशा में जहां निम्नतर
	पद का अ	नुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी।	
	Accordi	ng to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit	shall be 15 years for Ex-
	servicen	nen; Provided that if permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then up	oper age limit of 50 years
	shall be	applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper a	ge limit of 55 years shall
	be appli	:able. 1 :– कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम.	1988 यथासंशोधित प्रावधाने
	स्पष्टाकर के होते ह	) — कामिक (क—2) विमान के परित्र दिनाय 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सांसर समा सुराष्ट्र का का का सांस के जासर क ए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अन्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सै	नावा के के के कि
	आय संबंध	ो शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।	नक का मा ५५ हागा अलाप
12	राजस्थान		and the second
		दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1	इट देय होगी।
	for pers	दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 1g to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above sha	इट देय होगी।
नाट '	दी गई ह	दिव्यागजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 18 to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above sha ne with benchmarks disabilities	बूट देय होगी। Il be relaxed by 05 years
		दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 1g to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above sha	बूट देय होगी। Il be relaxed by 05 years
नोट -	— जास्त्रोक्च वर्षि	दिव्यागजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निश्वासजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 1g to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above sha ns with benchmarks disabilities. गौ∕अन्य विशिष्ट भौगियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम , स्वतः ही निष्प्रमादी माने जायेंगे।	हूट देय होगी। 11 be relaxed by 05 years ⁄त्तक की आयु सीमा में छूट
<u>नोट</u> - 1.	उपरोक्त वर्षि	दिव्यागजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निश्वालपनन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 1g to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above sha ns with benchmarks disabilities. गौं/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्राक्वानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम , रचतः ही निष्प्रमावी माने जायेंगे। ति आयु सीमा में छट के बिन्दू संख्या 01 से 11 तक के प्रावचान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात् अन्यर्थियों को उपरोक्त	हूट देय होगी। 11 be relaxed by 05 years ⁄त्तक की आयु सीमा में छूट
<u>नोट</u> - 1.	उपरोक्त वरि का अधिकत	दिव्यागतन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निशासतन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 ng to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shas ms with benchmarks disabilities. nf /अवर शिषिष्ट अंगियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम , स्वतः ही निष्प्रमावी माने जायेंगे ! ति आयु सीमा में छुट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त ा अप सीमा में छुट का लान दिया जायेगा ! एक से अधिक प्रावधानों को जोड कर छट का लाम नहीं दिया जायेगा !	हूट देय होगी। II be relaxed by 05 years ⁄तक की आयु सीमा में छूट वर्णित किसी भी एक प्रावधान
<u>नोट</u> - 1. 2.	उपरोक्त वर्षि का अधिकत उपर्युक्त बिन ऊपरी आय	दिव्यागजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निश्वलाजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 ge to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above sha ms with benchmarks disabilities. गौं/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्राक्वानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम , स्वतः ही निष्प्रनादी माने जायेंगे। ति आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावचान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त i आयु सीमा में छूट का लाम दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावचानों को जोड़ कर छूट का लाम नहीं दिया जायेगा। दू संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चति, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान के सीमा ने अतिरिक्षा छट देय होगि।	हूट देय होगी। II be relaxed by 05 years ⁄त्तक की आयु सीमा में फूट वर्णित किसी भी एक प्रावधान अनुसार विशेष योग्यजन कं
<u>नोट</u> - 1. 2. 3.	उपरोक्त वर्षि का अधिकत उपर्युक्त बिन् ऊपरी आयु कार्मिक (क-	दिव्यागतन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निशासतन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 ig to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shan may can be shown	हूट देय होगी। II be relaxed by 05 year /तक की आयु सीमा में छू वर्णित किसी भी एक प्रावधा- अनुसार विशेष योग्यजन क ( (Horizontal) आरसण वे
<u>नोट</u> - 1. 2. 3.	उपरोक्त वर्षि का अधिकतः उपर्युक्त बिन् ऊपरी आयु कार्मिक (क- अंतर्गत किर	दिव्यागजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निशासतान व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 18 to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shan swith benchmarks disabilities. 17/अल्प विशिष्ट अभियों हेतु देय आयु सीमा में घूट के उस्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम 17, रखत: ही निष्प्रमावी माने जायेंगे । 16 आयु सीमा में घूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यथियों को उपरोवत 16 आयु सीमा में घुट का लान दिया जायेगा । एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर घूट का लान नहीं दिया जायेगा । 18 सुर संख्या 10 में 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यथियों को उपरोवत 18 सायु सीमा में घुट का लान दिया जायेगा । एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर घूट का लान नहीं दिया जायेगा । 2 संख्या 01 में 1 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में घूट दिये जाने के प्रावदा दिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान के सीमा में अतिरिक्त घुट ये होगी। 2) विमान के परिपत्र दिनांक 28.7.2017 एवं पत्र दिनोक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व बैतिय ) अपी के लिए असरित एवं हे त्य दि की अन्यर्थी द्वारा चुरूक के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयुर्स	हूट देय होगी। II be relaxed by 05 years /तक की आयु सीमा में छूट वर्णित किसी भी एक प्रावधान अनुसार विशेष योग्यजन के ( (Horizontal) आरक्षण बे
<u>नोट</u> - 1. 2. 3.	उपरोक्त वरि का अधिकतः उपर्युक्त बिन् ऊपरी आयु कार्मिक (क- अंतर्गत किर आदि) का क	दिव्यागवन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निशासानन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 ng to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shas mis with benchmarks disabilities. गौं/अवर विशिष्ट अंगियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम , स्वतः ही निष्प्रमादी माने जायेंगे का आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त 1 आयु सीमा में छूट का लान दिया जायेंगा ( फ से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाम नहीं दिया जायेंगा । दू संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान देशी ता में प्रिष्ट का देश देशी। 2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.72017 एवं पत्र दिनांक 14.92017 व 19.022021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व दीतिप ) केणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अन्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त जनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयु की के दिए, आरक्षित पदो हेतु यदि किसी अन्यर्थी होया शुल्क के अतिरिक्त जनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयु की के दिए आरक्षित पदो हेतु यदि किसी अन्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त जनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयु	हूट देय होगी। II be relaxed by 05 years /त्तक की आयु सीमा में फूट वर्णित किसी भी एक प्रावधान अनुसार विशेष योग्यजन कं f (Horizontal) आरक्षण बं Iमा, अंक, फिजिकल फिटनेर
<u>नोट</u> - 1. 2. 3. 4.	उपरोक्त वरि का अधिकत उपर्युक्त बिन् ऊपरी आयु कार्मिक (क- अंतर्गत किस् आदि) का द राजस्थान से होनी चाहिए	दिव्यागजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निश्वलाजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 ge to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shan swith benchmarks disabilities. मौं/अन्य विशिष्ट भेगियों हेतु देय आयु सीमा में घूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम , स्वतः ही निग्रमावी माने जायेंगे । ति आयु सीमा में घूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधानों के जोड़ कर घूट का लाम नहीं दिया जायेगा। दू संख्या 01 से 11 तक के अनुशास ऊपरी आयु सीमा में घूट दिये जाने के पश्चात्, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान के तीमा में घुट का लाम दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर घूट का लाम नहीं दिया जायेगा। दू संख्या 01 से 11 तक के अनुशास ऊपरी आयु सीमा में घूट दिये जाने के पश्चात्, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान के तीमा में आतिरिक्ता घूट देय होगी। 2) विमान के परिपत्र दिनांक 28.72017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व बीतिप निश्रे आरीतित घुट ये होगी। 2) विमान के परिपत्र दिनांक 28.72017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व बीतिप निरा जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) सिक्तयों हुम प्रतिक अतिरिक्त उनको देया किसी अन्य रियायत (जैसे– आयुर्स तान दित्या जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) सिक्तयों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा। वा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निधीरित है। इसलिए नियुतिरा दिनांक तक अन्यर्थी की	हूट देय होगी। II be relaxed by 05 years / तक की आयु सीमा में छूट वर्णित किसी भी एक प्रावधान अनुसार विशेष योग्यजन के ( (Horizontal) आरक्षण बे मा, अंक, फिजिकल फिटनेस आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं
<u>मोट</u> - 1. 2. 3. 4.	उपरोक्त वरि का अधिकत उपर्युक्त बिन् ऊपरी आयु कार्मिक (क- अंतर्गत किस् आदि) का द राजस्थान से होनी चाहिए	दिव्यागजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निशयलाजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 ge to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shan swith benchmarks disabilities. गौं/अन्य विशिष्ट अभियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम , स्वत: ही निष्प्रमावी माने जायेंगे। ति आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 10 से 11 तक के प्रावधान असंबयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त 1 आयु सीमा में छूट का लाम दिया जायेंगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाम नहीं दिया जायेगा। दू सरखा 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात्, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान तीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी। 2) विमान के परिपन्न दिनांक 28.72017 एवं पत्र दिनांक 14.92017 व 19.022021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व सैतिप ो श्रेणी के लिए आयक्षित पदों हेतु यदि किसी अप्यर्थी हापा युक्त के अतिरिक्त पत्नको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयु मीनियम जो परिपन्न दिनांक 28.72017 एवं पत्र दिनांक 14.92017 व 19.022021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व सैतिप 1 श्रेणी के लिए आयक्षित पदों हेतु यदि किसी अप्यर्थी हापा युक्त के अतिरिक्त पत्नको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयु भीगियां हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी माधा में ऑकत किये गये है। इसलिए नियुक्ति त्रियिक तक अन्यर्थी की श्रेणियां हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में ऑक्त किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थि	हूट देय होगी। II be relaxed by 05 years / तक की आयु सीमा में छूट वर्णित किसी भी एक प्रावधान अनुसार विशेष योग्यजन को ( (Horizontal) आरक्षण के मा, अंक, फिजिकल फिटनेस आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं
<u>मोट</u> - 1. 2. 3. 4. 5.	उपरोक्त वर्षि का अधिकत उपर्युक्त बिन ऊपरी आयु कार्मिक (क- अंतर्गत किस आदि) का व राजस्थान से होनी चाहिए अन्य विशिष्ठ प्रावधान ही	दिव्यागजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निश्वलाजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 ge to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shan swith benchmarks disabilities. गौ/अन्य विशिष्ट अभियों हेतु देय आयु सीमा में घूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम , रवत: ही निष्प्रमावी माने लायेंगे। ति आयु सीमा में घूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधानों के जोड़ कर घूट का लाम नहीं दिया जायेगा। इ संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में घूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान के सीमा में घुट का लाम दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर घूट का लाम नहीं दिया जायेगा। दू संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में घुट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान के सीमा में अतिरिक्त घूट देय होगी। 2) विमान के परिपत्र दिनांक ट8.72017 एवं पत्र दिनांक 14.92017 व 19.022021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व बैतियि 1) अपी लेलिए अपरित पर्य हो दु यदि किसी अन्यर्थी द्वारा चुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयुसी ाव तियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 6 क्यों नियासित नहीं किया जायेगा। वा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 6 क्यों नियासित ही किया जायेगा। औपीयों हेतु आयु सीमा में घूट के प्रावधान हिन्दी व अग्रेजी माथा में अंकित किये गये है। इसलिए नियुक्ति प्रिकार के विधिक वाद की सिथ मान्य होंगे। अपया दिवरण	हूट देय होगी। II be relaxed by 05 years / तक की आयु सीमा में छूट वर्णित किसी भी एक प्रावधान अनुसार विशेष योग्यजन के ( (Horizontal) आरक्षण वे ( Horizontal) आरक्षण वे मा, अंक, फिजिकल फिटनेस आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं ति में अंग्रेजी भाषा में अंकित
<u>मोट</u> - 1. 2. 3. 4. 5.	उपरोक्त वर्षि का अधिकत उपर्युक्त बिन ऊपरी आयु कार्मिक (क- अंतर्गत किर आदि) का व राजस्थान से होनी चाहिए अन्य विशिष्द	दिव्यागतन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निशासतन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 ig to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shas inf /अवर विधिष्ट श्रीणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम , स्वतः ही निष्प्रमावी माने जायेंगे . ावा धु सीमा में छुट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरेक्त ावा धु सीमा में छुट को बाने दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त ावा धु सीमा में छुट को बाने दु सांख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त ावा धु सीमा में छुट का लाम दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड कर छुट का लाम नहीं दिया जायेगा। इ संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान दे संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान ही तेमा में अतिरिक्त छुट देय होगी। 2) तिमाम के परिपन्न दिनाक 267.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बबत् (Vertical) व सैतिज तेमा में अतिरिक्त छुट देय होगी। व) नियम के अनुसार सरकारी कर्माचारे हेतु संवानियूति की आयु 60 वर्ष निर्धारित नहीं किया जायेगा। व) नियम के अनुसार सरकारी कर्माचारे हेतु संवानियूति की आयु 60 वर्ष निर्धारित हो। किसी अन्य श्रीण्यों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी माथा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थि भाग्य होंगे। अत्यर्थियों का चयन प्रतियोंगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। अत्यर्थियों का चयन प्रतियोंगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। अत्यर्थियों का चयन प्रतियोंगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।	हूट देय होगी। II be relaxed by 05 years /तक की आयु सीमा में छूट वर्णित किसी भी एक प्रावधा- अनुसार विशेष योग्यजन के f (Horizontal) आरक्षण वे f (Horizontal) आरक्षण वे f (Horizontal) आरक्षण वे f (Horizontal) आरक्षण वे f से अंधेजी भाषा में अंकित त्तरप्युरितका के मुल्यांकन वे
<u>नोट</u> - 1. 2. 3. 4. 5.	उपरोक्त वर्षि का अधिकत उपर्युक्त बिन ऊपरी आयु कार्मिक (क- अंतर्गत किस आदि) का व राजस्थान से होनी चाहिए अन्य विशिष्ठ प्रावधान ही	दिव्यागवन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निशासानन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 18 to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shan 16 आयु सीमा में छुट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावचान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त 16 आयु सीमा में छुट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावचान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त 17 अबर ही निष्प्रमावी माने जायेंगे। 16 आयु सीमा में छुट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावचान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त 16 आयु सीमा में छुट का लान दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावचान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त 17 अपर देशिए को 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छुट दिये जाने के परचात, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान के तीमा में अतिरिक्त छुट देय होगी। 2) तिमान के परिपन्न दिनांक 28.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बबत् (Vertical) व कैंति मेश्री के लिए आरसित पदां हेतु यदी किसी अन्यर्थी द्वारा शुरूक के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयुसी 11 तियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु यदी किसी अन्यर्थी द्वारी त्वार्डत निक्ते ये बिन्दी संख्या 11 औणियों हेतु आयु सीमा में छुट के प्रावचात हिन्दी व अंग्रेजी माधा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थि 17 अर्थार्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारी कि स्थि अत्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/र क्यत्वियेयों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। संबंगित सेवा नियम के पिया ये के नियम य के यियम य 18 किया जायेगा। संबेपित सेवा के के नियम य के नियम य के यियम य के किया या स्थागा वियम के सेवा नियम के नियम 28 के	हूट देय होगी। II be relaxed by 05 years / तक की आयु सीमा में छूट वर्णित किसी भी एक प्रावधान अनुसार विशेष योग्यजन कं I (Horizontal) आरक्षण वं I (Horizontal) स्थाण वं I
<u>मोट</u> - 1. 2. 3. 4. 5.	उपरोक्त वर्षि का अधिकत उपर्युक्त बिन ऊपरी आयु कार्मिक (क- अंतर्गत किस आदि) का व राजस्थान से होनी चाहिए अन्य विशिष्ठ प्रावधान ही	दिव्यागजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निशासानन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 18 to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shas swith benchmarks disabilities. 17/अल वीरीष्ट भेषियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम 17, स्वतः ही निष्प्रमावी माने जायेंगे । दिल आयु सीमा में छूट के विन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अग्यथियों को उपरोक्त 18 जायु सीमा में छूट का लान दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अग्यथियों को उपरोक्त 18 जायु सीमा में छूट का लान दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लान नहीं दिया जायेगा। 20 विमान के परिपत्र दिनांक 28.72017 एवं पत्र दिनांक 14.92017 व 19.02.2021 के अनुसार जम्बदा (Vertical) व कीरिये 19/जो के परिपत्र वित्तांक 28.72017 एवं पत्र दिनांक 14.92017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व कीरिये 19/जो के परिपत्र वित्तांक 28.72017 एवं पत्र दिनांक 14.92017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व कीरिये 19/जो के तिए आरंक्त पत्रों हेतु यदि किसी अन्यर्थी द्वारा दुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे – आयुर्स 19/जो के परिपत्र वित्तांक 28.72017 एवं पत्र दिनांक 14.92017 व 19.02.2021 के अनुसार लमखत्त (Vertical) व कीरिये 19/जो के तिए आरंक्त पत्रों हेतु यदि किसी अन्यर्थी द्वारा दुल्क के अतिरिक्त उनको येय किसी अन्य रियायत (जैसे – आयुर्स 19/जो के तु आयु सीमा में छूट के प्रावधात हिन्दों व अंग्रेजी माथा में अंकित किये गये है। इसलिए नियुक्ति विनांक तक अन्यर्थी की आंगियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधात हिन्दों व अंग्रेजी माथा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थि आयधीयों का चयन प्रतियोंनी परीक्ष के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पढ़ने पर आयोग हाय उत्तरपत्रक/र कोरिया/ग/खेडरेषत/नॉनांलार्डजोतन (सामानायीकरण) प्रद्वति को अनुशसित किए जायेगे ने लियिन परिक्षा में प्रापार्गो	हूट देय होगी। II be relaxed by 05 years / तक की आयु सीमा में छूट वर्णित किसी भी एक प्रावधान अनुसार विशेष योग्यजन कं I (Horizontal) आरक्षण वं I (Horizontal) स्थाण वं I
<u>नोट</u> - 1. 2. 3. 4. 5.	उपरोक्त वर्षि का अधिकत उपर्युक्त बि- ऊपरी आयु अतर्गत किस् आदि) का द राजस्थान से होनी चाहिए प्राजस्थान से प्रजिस्या	दिव्याग्वन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निशासानन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 1g to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shas ms with benchmarks disabilities. 1]/अवर द्वीनिष्ठमावी माने जायेंगे कायु सीमा में प्रहुट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावचान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त 1 (आप सीमा प्रहुट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावचान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त 1 (आप सीमा में छुट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावचान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त 1 कायु सीमा में छुट को वाने द्वारा जायेगा। एक से अधिक प्रावचानों को जोड कर छुट का लान नहीं दिया जायेगा। 1 हु संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छुट दिये जाने के पश्चात, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावचान के 2] तिमान के परिपन्न दिनाक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व सैतिये 1 क्षेपी के तिए आरक्षित पदा हेतु यही किसी अन्यर्थी हाप शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयु ही नियम के अनुसार उक्त कर्मावारे हेतु संवानियूति की आयु 80 वर्ष निर्धारित हो। किया जायेगा। 1 क्षेपी के तिए आरक्षित पदा हेतु यही दिन्दी व अग्रेजी माथा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थि अधीक्यों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अग्रेजी माथा में अकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की सिथ आयधियों का चयन प्रतियोंगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग हारा उत्तरपत्रक/ ए अत्यर्थियों का चयन प्रतियोंगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। अत्यर्थियते का ययन प्रतियोंगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग हारा उत्तरपत्रक/ज कोतिंग/मोडरेशन/नॉनोजाईरेता (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेग।। संवरिति सेवा नियम के नियम 28 के पाये गए अन्यर्थियों को नाम राज्य सरकार/नियुवित प्राधिकारों को अनुशसित किए जायेगे जो लिखित परीक्षा में प्रापाको	हूट देय होगी। II be relaxed by 05 years / तक की आयु सीमा में छूट वर्णित किसी भी एक प्रावधान अनुसार विशेष योग्यजन कं I (Horizontal) आरक्षण वं I (Horizontal) स्थाण वं I
<u>नोट</u> - 1. 2. 3. 4. 5.	उपरोक्त वर्षि का अधिकत उपर्युक्त बि- ऊपरी आयु अगर्मिक (क अंतर्गत किस् आदि) का व राजस्थान से होनी चाहिए अन्य विशिष्ट प्रक्रिया प्रक्रिया	दिव्यायतन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निशासानन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 ng to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shas ms with benchmarks disabilities. $\Pi_{j}/ seat:$ द्वी निष्प्रमादी माने जायेंगे ति आयु सीमा में पूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त ति आयु सीमा में पूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त ति आयु सीमा में पूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त ति आयु सीमा में पूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त ता आयु सीमा में पूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधानों को जोड कर घूट का लाम नहीं दिया जायेगा। इ संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में घूट दिये जाने के पश्चात, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान हे सिंख्या 01 से 11 तक के अनुसार उपरी आयु सीमा में घूट दिये जाने के पश्चात, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान हे सिंख्या 01 से 11 तक के अनुसार परा पर्य पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व दीतिज 1 क्षेमी के लिए आराक्त है तो उसे सामाय (आराधिक्त) प्रिविकायों के प्रति विपारित नहीं किया जायेगा। वा नियम को आनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित हो । इसलिए नियुवित दिनांक तक अन्यर्थी बी औणी के तु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी माथा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की सि मान्य होंगे। अन्य विवरण अन्यर्थियों का चयन प्रतियोंगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवर्ययकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/ द रक्लेंदिन /मोद्रेसन /नॉनंवाईत्वेन (सामान्यीकरण) पद्वति को अपनाया जा सकेंगा। संबंधित सेचा नियम के नियम 28 के पाय गए अमर्यर्थयों के नाम राज्य सरकार /नियुवित प्राधिकारों को अनुशसित किए जायेगे। ा परीक्षा स्वान व तिथि के संबंध में यधासमय सुधित किया जायेगा।	हूट देय होगी। II be relaxed by 05 years / तत्क की आयु सीमा में घूट वर्णित किसी भी एक प्रावधा- अनुसार विशेष योग्यजन के ( (Horizontal) आरक्षण वे मा, अंक, फिजिकल फिटनेस आयु 60 वर्ष से अधिक नई तित में अंग्रेजी भाषा में अकित त्तरपुरितका के मूल्यांकन मं मनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त की मेरिट (Merit) के क्रम मं
<u>नोट</u> - 1. 2. 3. 4. 5. चयन परीक्षा एवं म	उपरोक्त वर्षि का अधिकत उपर्युक्त बि- ऊपरी आयु अगर्मिक (क अंतर्गत किस् आदि) का व राजस्थान से होनी चाहिए अन्य विशिष्ट प्रक्रिया प्रक्रिया	दिव्यात्वान अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निशासानन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 1g to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shas ms with benchmarks disabilities. 1f/अन्य विशिष्ट भीणियों हेतु देय आयु सीमा में घूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम 1, स्वतः ही निष्प्रमावी माने जायेंगे। 1 आयु सीमा में घूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त 1 आयु सीमा में घूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त 1 आयु सीमा में घूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त 1 आयु सीमा में घूट का लाम दिया जायेगा। एक भं अधिक प्रावधानों को जोड कर छूट का लान नहीं दिया जायेगा। 2 संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान के तीमा में आतिरिक्त छूट देय होगी। 2) विभाग के परिपन्न दिनांक 267.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व सैतियों 1 केणी के लिए आरधित पदों हेतु यदि किसी अन्यर्थी द्वारा सुरूक के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैस– आयु 1 नियम के अनुसार सरकारी कर्मचाशे हेतु संचानितृति की आयु 60 यर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अन्यर्थी की 1 नियम औरी को दायन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आयर्थयों को चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवयरकता पढ़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/स् रकंदित/ / मंबदेशन / नॉन्तांसुंजेशन (सानान्यीकरण) पद्धति को अन्याया जा संकागा। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के 1 पर्या रा अध्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम सुचित किया जायेगा। यत्ररिया होगे। यरीक्षा ख्यान्य तां तिथि के संबंय में यथासमय सुचित किया जायेगा। 1 परीक्षा स्थान दा तिथि के संबंय में यथासमय सुचित किया जायेगा। 1 परीक्षा स्थात व तिथि के संबंय में यथासमय सुचित किया जायेगा।	हूट देय होगी। II be relaxed by 05 years / तक की आयु सीमा में घूट वर्णित किसी भी एक प्रावधान अनुसार विशेष योग्यजन के I (Horizontal) आरक्षण वे I (Horizontal) आरक्षण वे I (Horizontal) आरक्षण वे I (Horizontal) आरक्षण वे I (संग्रेयजी भाषा में अंकित त्तरपुरितका के मुल्यांकन में अयुत्तर आयोग द्वारा उपयुक् की मेरिट (Merit) के क्रम मं मं उल्लेखित परीक्षा योजना वे
<u>नोट</u> - 1. 2. 3. 4. 5. चयन परीक्षा एवं म	उपरोक्त वर्षि का अधिकत उपर्युक्त बिन् कार्मिक (क- अंतर्गत किए आदि) का द राजस्थान से होनी चाहिए अन्य विशिष् प्रक्रिया प्रक्रिया वा का स्थान ह ा योजना	दिव्यागवन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निशासानन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 18 to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shas swith bechamarks disabilities. तों/अल्प विशिष्ट भेषियों हेतु देय आयु सीमा में छुट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम त, स्वत: ही निष्प्रमावी माने जायेंगे 1 ति आयु सीमा में छुट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त 1 आयु सीमा में छुट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त 1 आयु सीमा में छुट के बान दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छुट का लान नहीं दिया जायेगा। 2 संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरे अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छुट का लान नहीं दिया जायेगा। 2 संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरे अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छुट का लान नहीं दिया जायेगा। 2 सिया के परिपन्न दिनांक 26.72017 एवं पत्र दिनांक 14.92017 य 19.022021 के अनुसार लम्बन्त् (Vertical) य क्षैति 1 श्रेणी के लिए आरक्षित पदां हेतु यदि किसी अन्यर्थी द्वारा सुरुक के अतिरिक्त जनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयु ती वा जाता है तो उसे सामान्य (अन्यर्शिक्ता) पितियों के प्रति विधारित नहीं किया जायेगा। वा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु यदि किसी अन्यर्थी द्वारा सुरुक के अतिरिक्त जनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयों देतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी माधा में अंकित किये यायेगा। आय होंगे। अन्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पडने प आयोग द्वारा वेति स्था त्यत्वरियंत होंगे। यत्वरिका / मोडरेशन / नॉनंकांद्वरेश्वरन (सामान्योकरण) पद्धति को अपनाया जा सरकेगा। संबंधित सेचा नियम के नियम 28 के यायरियंत होंगे। यत्वा स्थत तंसी वा साय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। यत्वरियत होंगे। यत्वरा से संबंधित सेवा नियम के नियम दुर्धके संपी आजयेगा। उक्ता पदोंकी क्या नियम के नियम दुर्धके संनी प्रयन वस्तुनिय प्रिका के इन में आयोजित की जायेगी। इक्त नियम मे वस्ता नियम मियन मिया नि वियम जियन सिया नियम के वेबस जनुसार परीक्षा बस्तुनि	हूट देय होगी। II be relaxed by 05 years / तक की आयु सीमा में घूट वर्णित किसी भी एक प्रावधान अनुसार विशेष योग्यजन के I (Horizontal) आरक्षण वे I (Horizontal) आरक्षण वे I (Horizontal) आरक्षण वे I (Horizontal) आरक्षण वे I (संग्रेयजी भाषा में अंकित त्तरपुरितका के मुल्यांकन में अयुत्तर आयोग द्वारा उपयुक् की मेरिट (Merit) के क्रम मं मं उल्लेखित परीक्षा योजना वे
<u>नोट</u> - 1. 2. 3. 4. 5. चयन परीक्षा परीक्षा पाठ्य	उपरोक्त वर्षि का अधिकत उपरोक्त की उपरोक्त की अतर्गत किस् आदि) का द राजस्थान से होनी चाहिए अन्य विशिष्क प्रक्रिया प्रक्रिया कि स्थान ाह योजना क्र	दिव्याग्वल अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निशासावन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 ng to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shas ms with benchmarks disabilities. $\Pi_{J}/ अवर दिशिष्ट अधियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम , रवत: ही निष्प्रमादी माने जायेंगे। तंत आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त तंत आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान के जोड कर छूट का लाम नहीं दिया जायेगा। इ संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात्, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान हे संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात्, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान हे संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात्, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान हे सिया जादे हो। उस सामान्य (अनारखित) (प्रविक्रायें के प्रावधात्त की किया जायेगा। 2) विभाग के परिपत्र दिनांक 267.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व बैतिज ) क्ष्मी के लिए आराक्त हो। उस सामान्य (आराधित) (प्रविक्रायें के प्रति विपारित नहीं किया जायेगा। वा नियम को अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित ही। इसलिए नियुवित दिनांक तक अन्यर्थी की औणी हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी माथा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की सि मान्य होंगे। अन्य विवरण अध्वर्थियों का चयन प्रतियोंगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पडने पर आयोग द्रारा उत्तरपत्रक/ द रक्तेरित/ मारदेशन / नॉतेवॉत्रेवेडन (सामान्यकित्र)/ पद्ति को अपनाया जा सलेगा। संबंधित सेचा नियम के नियम 28 के यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंय में यथासमय सुचित किया जायेगा। परीक्षा ख्यान व तिथि के संबंय में यथासमय सुचित किया जायेगा। जित्ता पत्ती कर्सचीत संखा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रुप्त में आयोजित की जायेगी। उत्त नियम 1 अनुसार पतीक्षा बस्तानिक त्या नियम के निरय 22 के $	हूट देय होगी। II be relaxed by 05 years / तक की आयु सीमा में घूट वर्णित किसी भी एक प्रावधान अनुसार विशेष योग्यजन के I (Horizontal) आरक्षण वे I (Horizontal) आरक्षण वे I (Horizontal) आरक्षण वे I (Horizontal) आरक्षण वे I (संग्रेयजी भाषा में अंकित त्तरपुरितका के मुल्यांकन में अयुत्तर आयोग द्वारा उपयुक् की मेरिट (Merit) के क्रम मं मं उल्लेखित परीक्षा योजना वे
<u>नोट</u> - 1. 2. 3. 4. 5. 5. परीक्षा परीक्षा परीक्षा पाठ्य आवेद	उपरोक्त वर्षि का अधिकत उपर्युक्त बिन् कार्मिक (क- अंतर्गत किए आदि) का द राजस्थान से होनी चाहिए अन्य विशिष् प्रक्रिया प्रक्रिया वा का स्थान ह ा योजना	दिव्यागवन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निशासानन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की 1 18 to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shas swith bechamarks disabilities. तों/अल्प विशिष्ट भेषियों हेतु देय आयु सीमा में छुट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम त, स्वत: ही निष्प्रमावी माने जायेंगे 1 ति आयु सीमा में छुट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त 1 आयु सीमा में छुट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अन्यर्थियों को उपरोक्त 1 आयु सीमा में छुट के बान दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छुट का लान नहीं दिया जायेगा। 2 संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरे अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छुट का लान नहीं दिया जायेगा। 2 संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरे अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छुट का लान नहीं दिया जायेगा। 2 सिया के परिपन्न दिनांक 26.72017 एवं पत्र दिनांक 14.92017 य 19.022021 के अनुसार लम्बन्त् (Vertical) य क्षैति 1 श्रेणी के लिए आरक्षित पदां हेतु यदि किसी अन्यर्थी द्वारा शुरुक के अतिरिक्त जनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयु ती वा जाता है तो उसे सामान्य (अन्यर्शिक्ता) पितियों के प्रति विधारित नहीं किया जायेगा। वा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु यदि किसी अन्यर्थी द्वारा शुरुक के अतिरिक्त जनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयों देतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी माधा में अंकित किये यायेगा। आय होंगे। अन्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पडने प आयोग द्वारा वेति स्था त्यत्वरियंत होंगे। यत्वरिका / मोडरेशन / नॉनंकांद्वरेश्वरन (सामान्योकरण) पद्धति को अपनाया जा सरकेगा। संबंधित सेचा नियम के नियम 28 के यायरियंत होंगे। यत्वा स्थत तंसी वा साय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। यत्वरियत होंगे। यत्वरा से संबंधित सेवा नियम के नियम दुर्धके संपी आजयेगा। उक्ता पदोंकी क्या नियम के नियम दुर्धके संनी प्रयन वस्तुनिय प्रिका के इन में आयोजित की जायेगी। इक्त नियम मे वस्ता नियम मियन मिया नि वियम जियन नियम मे वियम के वेबस अपरियंती होता वा वा	हूद वेय होगी। II be relaxed by 05 years / तक की आयु सीमा में छूट वर्णित किसी भी एक प्रावधान अनुसार विशेष योग्यजन के I (Horizontal) आरक्षण के I (Horizontal) के प्रत्याकन में मतुसार आयोग हारा उपयुक्त ही मेरिट (Merit) के क्रम में दिल्लेखित परीक्षा योजना वे इंटल्लेखित परीक्षा योजना वे इंट्र पर पृथक से जारी किय

2/6

आवश्यक रूप से कर लेवें। तदपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा–निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा।

ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अम्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अम्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/ समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।

जिन अम्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अम्पर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल <u>https://sso.rajasthan.gov.in</u> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करें।

अम्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संमव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार /SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेवे। यदि इसमें कोई अन्तर है तो आधार कार्ड/ SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पशचात ही OTR व ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।

Note: ऑनलाईन आवेदन पन्न भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जाँच/परख ले क्योंकि One Time Registration में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि तथा फोटो को अपडेट कर लें ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके तथा परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश–पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जायेगा।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपने Live फोटो का Preview देखकर फोटो की सुनिश्चितता करते हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र को Submit करें।

अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं बॉयें हाथ की अंगूठा निशानी की स्कैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अभिजागर की उपस्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृथक से अंगुठा निशानी भी लगाई जायेगी।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन अवधि के दौरान की दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु साथ लेकर आयें।

अभ्यर्थियों को श्रतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में श्रतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना 8 होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

अन्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। यदि ऐसी पूर्व में अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुमव को आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया है तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात ऐसी योग्यता / अनुभव विचारणीय नहीं होगा। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अर्जित शैक्षणिक योग्यता / अनुभव ही बाद में जोड़े जा सकेंगे। 10. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit

नहीं माना जायेगा। 11. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।

- आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन–लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
- राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित 13 जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
- 14. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पन्न भरने के पश्चात आवेदन पन्न की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेवें।
- 15. अम्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आयोग की वेबसाईट पर Exam Dashboard का समय-समय पर अवलोकन करें क्योंकि आयोग की परीक्षाओं/भर्ती संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती है। पृथक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता 書

16. आयोग द्वारा अम्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन / हाथ से भरा हुआ आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाईन पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रूटि का पता लगता है तो अन्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रूटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है--1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के

- भीतर निर्धारित शुल्क रूपये 500/- का ऑनलाईन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध दिशा—निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन∕परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रूटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
- 2 आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।

Note: विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित विच्छिन्न विवाह (DV) डिक्री जारी होने की रिथति में ही वर्ग परिवर्तन हेतू आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाईन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकेगी।

- 3. One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अम्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा
- 4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अन्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी।
- 5. सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रूपये निर्धारित है।

8. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के परवात किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा। 7. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी ऑफलाईन / ऑनलाईन परिवर्तन करने हेतु अन्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। एकबारीय पंजीयन शुल्क :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त मर्ती परीक्षाओं हेतु एकबारीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है-

1. सामान्य (अनारक्षित) / पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर / अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी – रूपये 600/-

- 2. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सहरिया क्षेत्र) के अभ्यर्थी -

रूपये 400/-

3. दिव्यांगजन -नोट :-

रूपरे 400/-

- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अन्यर्थी माना जाएगा। अत: ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अन्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
  - जिन अन्यर्थी द्वारा पूर्व में वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अन्यर्थी भी एसएसओ आईडी द्वारा लॉग इन कर वन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाएँ

विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/क्षतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:-

1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन / विशेषयोग्यजन श्रेणी भरे जाने तथा श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए वह पात्र/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अम्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अभ्यर्थी को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

 ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रतलेखक लाना चाहते है, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम एक दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण–पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन—पत्र, श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।

- ऐसे दिय्यांगजन अम्यर्थी जो आयोग / केन्द्राधीक्षक से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अम्यर्थियों को **परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व** दिय्यांगता का वांछित 3. चिकित्सा प्रमाण-पन्न अभ्यर्थी का वचन-पन्न केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।
- 4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत् परिमाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्ततों) की दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता–Both Arms) एवं सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी वाले अन्धर्थी द्वारा चाहने पर, दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अम्यर्थी एवं श्रतलेखक का वचन-पत्र के आधार पर श्रतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अलावा Section- 2(r) के तहत् परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध मे मुख्य विकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण–पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-C) दिव्यांपता का चिकित्सा प्रसण एव एवं शुतले बहुक का वचन-एव प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और /या क्षतिपुरक समय प्रदान किया जायेगा।

The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहन् परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिय्यांगता का चिकित्ता प्रमाण-पत्र प्रसुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपुरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अम्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा और⁄या क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व संगस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय देय नहीं होगा।

30

6. श्रतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण–पत्रों का आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध "Candidate Information>Important Downloads>Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत अवलोकन करें। वेक्साईट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संबंधी निर्देशों को विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा।

### Scheme and syllabus of competitive examination for senior teacher

The Examination shall carry 500 marks. There will be two papers. Paper-I shall be of 200 marks and Paper-II shall be of 300 marks.

#### PAPER - I

- The question paper will carry maximum 200 marks.
- Duration of question paper will be 2.00 hours. 3 The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
- 4.
- Paper shall include following subjects:-(i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
  - (ii) Current Affairs of Rajasthan (iii) General knowledge of world and India
  - (iv) Educational Psychology.
- Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer one third of the the marks prescribed for that particular 5. question shall be deducted.
- Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers. 6. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes

फ ताह उजाहर जहार अहार अताहराजा कर ताहरू. उलस्थान सिदित सेवा (मृत्यूर्द सीनेक का आमेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्राक्यानानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णाकों में छूट/रियायत दी जायेगी।

### PAPER - II

- The question paper will carry maximum 300 marks. 1.
- 2. Duration of question paper will be 2 Hours 30 Minutes. 3.
- The question paper will carry 150 questions of multiple choices. 4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
- Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
- The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 5 राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आमेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्रावधानानुसार मूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णाकों में छूट/रियायत दी जायेगी।
- Paper shall include following subjects :-6.
  - (i) Knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter.
  - (ii) knowledge of graduation standard about relevant subject matter.
- (iii) Teaching methods of relevant subject.

उक्त पदों हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश:–

Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer I. Sheet using BLUE BALL POINT PEN.

- It is mandatory to fill one option for each question. 2
- If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the 3. marks of question shall be deducted.
- After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra 4. time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
- 5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :--

- अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई--मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & 1. E-Mail के गाध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- अस्वर्थी यथासम्मव मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ भेजें। 2.
- आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक गई। अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अत्तिम रूप से Submit करने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आखरत हो लें कि सनी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी। 3.
- अम्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या 4 के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अम्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी 5. सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जाँध आवश्यक रूप से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उन्हें सुधारने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके परचात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अम्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई–गित्र अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अम्पर्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
- यदि आवेदक हारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग हारा किसी मी स्तर पर रदद किया 6. ा सरुता है, जिसकी सार्पत जिम्मेदा आदेवक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति फिछड़ा वर्ग/आविंक रूप से कमंजारे वर्ग/उत्तृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यवता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/नेर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विमागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अम्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया ात्रियों कालन ने कर अपको Offine Application Form आज को आता विवेश का लाम विवास के कि का का का का कि के कि का कि जावेगा और ऐसे अध्यर्थियों को जो कि उत्तत वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विवेश का लाम विधापित पदों हेतु देध में जो श्रेणी/वर्ग मरी/मंच है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अपर्थी/आवेदक द्वारा अनिकाईन आवेदन-पत्र मच है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज जो कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का/तक का बना होना चाहिए. यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आयेदक /अभ्यर्थी का ऑनलाईन आयेदन–पत्र निरस्त/ रदद कर पात्रता रदद कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अम्यर्थी की होगी।
- आयेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा 7. अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियाँ आयोग सारा सही मान ली गई है। आयोग/विभाग हारा आवेदको की पत्रता की जोंचे अलग से की जावेगी। अस्पाई रूप से बात रहो ने की श्वितिक को औरनकार जामाग हारा पाछ हा आधा?[मियाग हारा आवेदको की पात्रता की जोंचे अलग से की जावेगी। अस्पाई रूप से बचन होने की श्विति में आवेदक को औरनकार्यन सिंहत आवेदन-पत्र वरण होगा। एवं इसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्ष हेतु जारी ई–प्रवेश पत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी। आयोग हारा जम्मीदवार की पात्रता

2 4/6

4

- की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विध्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी / मंत्रालयिक कर्मचारी / विभागीय कर्मचारी / अन्य शतौं की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेत उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रदद की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- भर्ती परीक्षा में अरथाई रूप से सफल घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अम्यर्थी को ऑनलाईन विस्तृत आवेदन पत्र भरे जाने हेतु निर्धारित समयावधि के लिए लिंक 8 खोला जायेगा। निर्धारित समयावधि के उपरान्त यह लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का ऑनलाईन / ऑफलाईन विस्तृत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रदद कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाम दिया जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं त्रुटि सुधार संशोधन अवधि के पश्चात् कोई अम्पर्थी आकस्मिक रूप से दिव्यांग/विधवा हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा/ साक्षात्कार के अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विधवा हेतु आधार–कार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र, लिंक दस्तावेज (यथा - राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दिव्यांग हेतु निःशक्तता प्रमाण–पत्र मय 500/- रूपये का ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरांत अम्पर्थी विधवा/दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर
- रिव्यू/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा। विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अम्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। परित्यतता / तलाकशुदा/विवाह विख्यिन आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
- विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विघवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा 12. विधवा के द्वारा वर्ग / श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग / श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड / मापदण्ड पूर्ण करता हो। विज्ञापन में दी गई वाछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण–पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
- आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी। 14.
- 15. परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- परीक्षा के दौरान प्रहन पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अंकित दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा. परीक्षार्थी द्वारा 16. दिशा—निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रेंशन पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- प्राण-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थियों 17. को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद–विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
- परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार 18 का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है साथ ही परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यपाय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- यदि किसी अम्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती एजेन्सियों की किसी भी भर्ती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अनद्र 19. व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के 20 कर्मचारी सामान्य अभ्यर्थी ही माने जायेंगे, उन्हे उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

#### प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/ अनुसूचित क्षेत्र/विचवा/विकिन्त विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता /विकलागता/राज्य कर्मचारी/गेर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लॉम तब ही देय होगा जबकि परीक्षा / मुख्य परीक्षा / संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उसकी पात्रता की जाँच में दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा दर्ग, अति पिछड़ा दर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर दर्ग के अग्यधियों को आरक्षण का लाम लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन की अतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आदेदन की अतिम तिथि तक लाई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया लाता है तथा अतिम तिथि के प्रसात लागी किया छुआ भाग-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शप्थ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आदेदन की अत्मिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण मरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग 2 का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता एवं माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। **पति के नाम, निवास स्थान व आय** के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग ∕ अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अन्यर्थियों को आरक्षण का लाम देय नहीं है। अतः ऐसे अन्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
- अनुसूचित जाति∕अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण–पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाम प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाम देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- 6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र (Income & Assets Certificate) अम्पर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर
- स्वाम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाँडिये। शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुमव आवेदन को अंतिम दिनाक/परीक्षा दिनांक/सक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे− श्रेणी∕वर्ग∕जाति∕अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण–पत्र). आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विशा-निर्वेशानुसार प्रमाण-पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा – विवाह प्रमाण–पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास रूप तात के तात के ताल प्रताल प्रताल प्रताल ने प्रतिकृत के स्वार्थित के प्रतिकृत के प्रतिकृत के प्रतिकृत के प्रति प्रताल पत्र इत्यादि वर्ग/अंगी तंशीचन की दिनांक तक प्रतुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विधवा अंगी/वर्ग का लाम देय नहीं होगा। इसी प्रकार परित्यकता/तलाकशुदा/विवाह विखिल्न अंगी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित् तलाक सम्बन्धी डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परित्यक्ता / विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाम देय नहीं होगा।
- भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त 8 हो गया / गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा / रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा / होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुवित प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता / करती है और वाँस्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता / जाती है तो नियुवित प्राधिकारी पद्यद्वण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुझात किया जायेगा। <u>कार्मिक (क-4/2)</u> विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की प्रतान के तिर्देश के साम क अबसि की गणन आवेदन पत्र की असिन सिंध में की जायेंगी। साथ ही यदि किसी सुतपूर्व सीनक ने आखण के लाग देने के परवात राजस्थान सरकार के अधीन किसी यद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सुरकार के अधीन पुनर्मियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी मुतपूर्व सीनक की प्रस्थिति समाप्त हो जायेंगी। राजस्थान

सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद को अनुभव अनिवार्य है, मुतपूर्य सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुमव उच्चतर पद पर सीधी मर्ती के लिए अपंक्षित है, पर नियोजित है, मुतपूर्य सैनिक प्रवर्ग के फायर से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्य सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को यहण करने से पूर्व विभिन्न पदों के लिए आवेदन की तरीख–वार व्यौरो के बारे में केई स्वतः धोषणा पत्र/वनमबंध देता है तो ऐसे पदों पर पहण करने से पूर्व लिए उसे मुतपूर्य सैनिक प्रवर्ग के आवेदन कि है, के लिए अविदन की तारीख–वार व्यौरो के बारे में कोई स्वतः धोषणा पत्र/वनसंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे मुतपूर्य सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और नी कि मुतपूर्य सैनिक जिसे शजस्थान सरकार के अधीन नीमतक/ संविदा/ अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोत्ति किया गया है को मुतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। राजम्बित (क्र–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 0108.2021 के अनुसार सजस्थान सिविल सेवाएँ (मूतपूर्व सैनिको का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत मुतपूर्व सैनिको को देय लाग, राजस्थान राज

- रूप गियाया करते भागम ज है। २१ राज है। 9. शासन के परिव क्रमोंक पर (19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
- 10. ऐसा कोई भी अग्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे/सतान हो, सेवा में नियुतित के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु यो से अधिक बच्चो/सत्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुतित के लिए तब तक निर्शहेत नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जुन, 2.002 को वियमान उसके बच्चो/सत्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसंव से केवल एक बच्चा/सत्तान है, सेवा में निर्दार्श नहीं तरा स्वान संख्या के स्वान के संख्या में बढ़ोतरी के होती होती. परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसंव के प्रे केवल एक बच्चा/सत्तान है, किन्तु किसी एक प्रश्वावर्ती प्रसंव से एक से अधिक बच्चो/सत्ताने पैदा होती है, रहाई बच्चों तेमतानों की संख्या में बढ़ोतरी पैदा होती है, रहाई बच्चों त्र सत्तानों की कुल संख्या ने बगला करते समय हम प्रकार पंता हुए खच्चों को एक कुर्भ समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की स्ताना की कु ल संख्या की गणना करते समय हम प्रकार पते हुए खच्चों को एक कुर्भ समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की सत्तान की कु ल संख्या की गणना करते समय हम प्रकार पते हुए खच्चों को एक कुर्भ समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की सत्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय हम प्रकार प्रकार पत्र हुए खच्चों को एक कुर्भ समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की सताना की कु ल संख्या की गणना करते समय हम प्रकार पत्र हुए स्वच से पत्र जितन हो गणना नहीं की जाएगी 1 परन्तु यह भी कि देशा कोई आगशी जितने पुतर्तिवाह किया है जो किसी विदिक तिरन्द हो है और तिश्व कर्या हूई हो और निश्वनिय के अधिन नियुति के लिए निर्राहत नहीं है जी उसके स्विध का को कु लंख्या की गणना करते समय हमी स्वान की जाजा हो को स्वान की जाजन नही किया जिसे में की किया जाये की के सार्य से प्रकार कही है जी रह से पुर्वविवाह किया है जो किसी निविध के विर्व हो दी स्वर स्व सम्र के की जा जिस्ते नही है तो से निर्त की स्वान की जाएगा वा किया हम दिखान की स्वर स्व सि का के उपने निर्वत के स्वर्य के की पर किया हमा राय किसी सतान का जान हुआ हो। परन्तु यह कि कि दुस नियम के उपसंक कियी विधिय एव विख्यित नही कि कि दिया एव विख्यित्त के सिंत नही सिव वर यो विधा पर विख्यित्त के निर्दाहित नही हो ता। तत्तमक्यी शापथ—पत्र यथा समय प्रतुत करना वोकनी होगा।
- 11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वाधित शैंहणिक योग्यता व अनुमव प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 12. विछिन्न विवाह/तलाकगुदा/ परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा
- 12 (वोखरून विवोर्ड) (वोधर्खुय) भारपंथता कर्मा पत्र मोहला कर जा राजेया करने करने का पति के जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। के द्वारा वर्ग श्रेष्णी संशोधन करने पर उसे वर्ग, श्रेष्णी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। 13 आवेदक को अत्मिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के समबच में कम से कम 'अच्छा'' का उल्लेख/अंकित
- 13. आवेदक को अन्तिम श्रीक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम 'अच्छा' की उल्लेख/ अकत होना आवश्यक होगा।
- 14. आवेदक को चयन उपरान्त आवरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र यथा समय नियुवित प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा. जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुवित में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/बाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुवित हेतु अपात्र होगा।
- 15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुवित प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से ख्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
- 18. आवेदक जी पहले से ही सरकारी सेवा यथा केन्द्रीय/ राज्य/ सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु मर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 17. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

17 जम्सवो को नाता के प्रिस ने पर्वाय ने प्रायंत्र पता पर्ना के जुबू राजे के स्वस्थ में विशेष निर्देश :-आवेदन-पत्र में पतात/द्विष्टपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं मरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-अग्यधो आंनलाइंन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकबारीय पंजीयन शुरूठ, आवेदन प्रक्रिया, म्राण पत्रों से संबंधित स्वना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षधिर्यो हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संवेधी सामान्य दिया-निर्देश तथा सम्बन्धित के काय्यन आवयक रूस से करते हुए आवेदन-पत्र में पालत/ ट्वेटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र में पर आवेदक का आवेदन-पत्र स्वर वित्य जियमों का अध्यन आवयक रूस से करते हुए आवेदन-पत्र में पालत/ ट्वेटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र में पर आवेदक का आवेदन-पत्र मरते पर आवेदक स्वय आवेदक की होगी तथा गलत/ ट्विटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र में पर खायेदक का आवेदन-पत्र स्वर के रविया जीवंग, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वय आवेदक की होगी तथा गलत/ ट्विटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र में पर आवेदक का आवेदन-पत्र प्रंत जीना-पत्र/ प्रीनजाईन प्रायंना-पत्र/ प्रंत्र-रावरात स्वर्ण आवेदन-पत्र से पूर्व ने कि या ये आपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु, व्यतेषा:/ऑक्साइं प्रायंना-पत्र/ आंनलाईन प्रायंना-पत्र/ आवरित अन्यर्थयो द्वारा स्वरी जावेदन-पत्र से पूर्व ने किये गये आपूर्ण आवेदन-पत्र में गई सूचना के आधार पर की जाती होने के परवात अप्याई स्व से वायति आययियो द्वारा सहत तिरहत आवंदन-पत्र से पूर्व ने किये गये आंतलाईन आवेदन-पत्र में गई सूचना को आधार पर की जाती होने के परवात अपया अपूर्ण सूचना में ने सहत तिरहत आवंदन-पत्र से पूर्व ने किये गये आंतलाईन आवेदन-पत्र में गई सूचना को आयार पर की जाती है. इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में मरी गई सूचना का सहत तिरहत आवंत-पत्र से पूर्व ने किये गये आंतलाईन आवंदन-पत्र में गरी मूचना के आयार पर की जाती है. इसलिए ऑलावईन आवेदन पत्र में मरी गई सूचना को सही मानत हे हुए गती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जावेगा। अगर अप्यर्शी हारा आवेदक को होगी जिसके सम्बन्ध में अप्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नही होगा। विशेष केट -

पूर्वों यह उत्तरेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा बुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई–मित्र/अन्य स्त्रोत द्वारा भरे गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार को कोई गलती/ ट्रॉट/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपयुक्त नियारित प्रक्रिया अनुसार अग्यर्थी द्वारा ऑनजाइन आवेदन-पत्र में आवस्यक याग्रित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेरक का ऑनजाइन/रविस्तृत-पत्र आयोग द्वारा रद्द/ निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अन्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य <u>बिन्दु व सूचना</u> :- एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिपित्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट https://psc.nijasthan.gov.in पर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को परिसर में दिख्त स्वापात कक्ष पर व्यतिगत रूप से अध्या दूरमाष सं- 0145-2635212 एवं 2635201 पर समयक विव्या जा सकता है । समरत पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्वोधित किया जाए।

(रामनिवास महता सचिव